भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3043
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन की प्रगति

†3043. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) महाराष्ट्र में, विशेषकर धुले और नासिक जिलों में विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) धुले और नासिक जिलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य से संबंधित उठाए गए मुद्दों का संज्ञान लिया है कि बारहमासी जल स्रोत के अभाव में अधिकांश नल कनेक्शन अप्रभावी हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या सरकार का उक्त दोनों जिलों में गंभीर जल संकट को देखते हुए कोई निरीक्षण या लेखापरीक्षा कराने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,
(ङ) क्या केंद्र सरकार को विगत पाँच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार या किसी जनप्रतिनिधि से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) जल जीवन मिशन की शुरूआत से महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण परिवारों में नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 48.44 लाख (33%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मिशन के शुभारंभ से अब तक लगभग

83.62 लाख ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 04.08.2025 तक, राज्य के 146.78 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 132.06 लाख (89.97%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। महाराष्ट्र में धुले और नासिक जिलों सहित नल जल कनेक्शन का जिला-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है तथा इसे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMState.aspx

(ख) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत आबंटित, जारी और महाराष्ट्र राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से के अंतर्गत व्यय
	अथ शेष	बजट आवंटन	राज्य द्वारा आहरित निधि	कुल उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	248.12	847.97	345.28	593.40	308.04	431.79
2020-21	285.35	1828.92	457.23	742.58	473.59	324.56
2021-22	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	377.98	477.98
2022-23	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.53	2,972.21
2023-24	2,363.74	21,465.88	7,444.26	9,808.00	8,208.53	8,371.34
2024-25	1,599.47	5,352.93	1,605.88	3,205.35	2,235.12	3,150.59

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

जिला-वार आबंटित निधि और उपयोग का ब्यौरा, भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) से (च) पेयजल राज्य का विषय है तथा पेयजल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार अगस्त, 2019 से महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन कार्यान्वित कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पेयजल आपूर्ति स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय, नीतिगत मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, पेयजल के स्रोत का चयन स्थानीय एडाफो-जलवायुवीय स्थितियों और स्रोत अन्वेषण समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाना चाहिए। विकल्पों में शोधन सहित अथवा शोधन रहित, भूजल स्रोत, या विशेष रूप से पानी की कमी, सूखा-प्रवण, या रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां विश्वसनीय भूजल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं- थोक जल स्थानांतरण के माध्यम से सतही जल स्रोत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशलतापूर्वक प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है।

पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक गांव को जल जीवन मिशन के तहत 5 वर्षीय ग्राम कार्य योजना तैयार करनी होती है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* ग्रामीण स्तर पर अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पीआरआई को सशर्त अनुदान, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य योजनाओं, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधियों, सामुदायिक अंशदान आदि के सामंजस्य में किए जाने वाले पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल होते हैं।

कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में प्रावधान किए गए अनुसार, जल आपूर्ति स्कीमों से संबंधित प्रस्तावों पर राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) में विचार किया जाता है और ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों को भारत सरकार स्तर पर अनुमोदित नहीं किया जाता है।

****